

3/11/20

2019

56

शुशीराम

वकील कादी उपो नहीं। बार-बार आवाज
दिगाई गई। वकील कादी उपस्थित नहीं।
वादी को अन्तिम आवाज साथ 4.30 बजे
दिगाई गई। वकील कादी उपो नहीं। अतः
प्राथम्य पत्र प्रार्थी अदालत हाजरी व अदम
पैरवी में स्वीकृत किया जाता है। पणवकी
बाद वकील मुक्त वाद के साथ संलग्न
हो। सुनाया गया

सहायक कलक्टर
अलवर

